

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय

नंख्या

2

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28-2-17	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी का मूलवाद सं० 131/2012 खासत दौखणा, विभाजन एवं अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत राज० काश्त० अधि० 1955 सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 03 के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः मूलवाद के अनुसरण में प्रार्थी का पूर्व में निर्गित अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में शामिल होकर कार्यालय में प्रविष्टि है। निर्णय आज दिनांक 28-02-17 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में मुनाया गया।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>सहायक कलेक्टर एवम् कार्यपालक सजिस्ट्रेट कयपुर शहर (प्रथम)</p>	

